स्पीड पोस्ट

संख्या- 6/एफ1-3010/2015 श्र०सं०- 131

बिहार सरकार,

श्रम संसाधन विभाग

आवंटनादेश

प्रेषक,

मो० सलीम,
श्रम आयुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
जमुई/वैशाली(हाजीपुर) ।

पटना, दिनांकः- 30.3.16

विषयः- मुख्य शीर्ष 2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-109-बीड़ी कर्मकार कल्याण-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0101-बीड़ी श्रमिकों के लिए गृह निर्माण हेतु (विपत्र कोड-P-223001109010१)के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 2689 दिनांक-27.08.15 एवं 1126 दिनांक-30.03.16 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015-16 में बीड़ी श्रमिकों के गृह निर्माण योजनान्तर्गत बीड़ी श्रमिकों द्वारा किये जाने वाले अंशदान ₹ 5000/- (रूपये पाँच हजार) मात्र की भरपाई के लिए अनुदान की राशि प्रति आवास ₹ 4000/- (रूपये चार हजार) मात्र की दर से **सहायक वेतनादि के अलावा** इकाई (31-06) में कुल 550 बीड़ी श्रमिकों (सूची संलग्न) के गृह निर्माण हेतु 31 मार्च 2016 तक व्यय के निमित निम्न प्रकार से निधि का आवंटन किया जाता है-

क्र० सं०	जिला पदाधिकारी का नाम	बीड़ी श्रमिकों की संख्या	सहायक वेतनादि के अलावा (31-06) में कुल आवंटित राशि प्रति आवास 4000/- की दर से
1	जिला पदाधिकारी, जमुई	527	527x4000 = 2108000
2	जिला पदाधिकारी, वैशाली(हाजीपुर)	23	23x4000 = 92000

कुल आवंटित राशि ₹ 22,00,000/- (₹ बाईस लाख) मात्र ।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-295/वि0 दिनांक-24.03.15, पत्रांक-5294 वि० दिनांक-17.06.15 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।

3. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।

4. इसका व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में यथा शीघ्र विभाग को उपलब्ध करा दी जाय।

5. यह आवंटन योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,

30/3/16

(मो० सलीम)
श्रम आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/एफ1-3010/2015 श्र०सं०- 131 पटना, दिनांक 30.3.16

प्रतिलिपिः- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

30/3/16

(मो० सलीम)
श्रम आयुक्त, बिहार।

*स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक-6/एफ1-3010/2015 श्र०सं०- 131 पटना, दिनांक 30.3.16

प्रतिलिपिः-सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त मुंगेर/*जिला कोषागार पदाधिकारी जमुई/वैशाली(हाजीपुर)/श्रम अधीक्षक जमुई/वैशाली(हाजीपुर)/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/सहायक श्रमायुक्त(शोध) एवं प्रशाखा-04 श्रम पक्ष को उनके गै०स०प्रे०सं०-240 (श्रम पक्ष) दि.-23.12.15 एवं 110 दि.29.03.16 के आलोक में एवं प्रशाखा-06 श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-04) द्वारा किया जायेगा ।

30/3/16

(मो० सलीम)
श्रम आयुक्त, बिहार।